

भाग-III

अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा निर्वाचन पर किये गये व्यय का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं. व/उप-क्र. सं. किये गये	जिसके द्वारा उम्मीदवार/प्रतियोगी द्वारा किये गये			कुल व्यय/प्रतिफल रुपये श्रीमं 2, 3 और 4
	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अधिकर्ता	वह राजनीतिक दल जिसके द्वारा किये	किस अन्य दल/अभियोगी की संस्था/प्रतिष्ठा	
1	2	3	4	5

- (i) साप्ताहिक समारोहों, जुलूसों आदि पर (i) 57,464=00 रुपए
 - (ii) अभियान समग्री जैसे-पत्रों, पारदर्शियों, दूरदर्श और अन्य कंसर्टों ध्वनि विस्तारकों आदि पर (ii) 51,000=00 रुपए
 - (iii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया (कैबल नेटवर्क को शामिल करते हुए) के द्वारा अभियान पर (iii) 28,432=00 रुपए
 - (iv) उपयोग में लिये गये वाहनों और ऐसे वाहनों पर हुए पी.ओ.एल. पर व्यय (iv) 6,60,044=00 रुपए
 - (v) द्वारा, मेहराबों, कटआउटों तथा बैनर आदि खड़ा करने का व्यय (v) NIL रुपए
 - (vi) नेताओं के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के दौरों पर व्यय (दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिये नेताओं के द्वारा किये गये यात्रा पर व्यय के अतिरिक्त, जैसा कि धारा 77(1) के अधीन स्पष्टीकरण-2 में परिभाषित) (vi) NIL रुपए
 - (vii) दल के अन्य कार्यकर्ताओं के दौरों पर (vii) NIL रुपए
 - (viii) अन्य विविध व्यय (viii) 49,736=00 रुपए
- महायोग 8,42,476=00

किसी से प्राप्त एकमुश्त अनुदान, यदि कोई हो तो -

- (i) राजनीतिक दल से
- (ii) कोई अन्य संघ/निकाय (जिसका नाम और पता सहित)
- (iii) कोई व्यक्ति (नाम और पता सहित)



डॉ. डी. गोस्वामी
 21/6/09